उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 298 / वि0अनु0–5 / 09 / स्टाम्प / 03) / 2004
देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल महोदय, कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले रू0 5.00 लाख (रूपये केवल पांच लाख) तक के ऋणों पर उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह छूट तत्काल प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संं0– – 298 / XXVII(5) / स्टाम्प / 2004 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति उप–निदेशक लिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200–200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव वित्त।

सं0– 298 / XXVII(5) / स्टाम्प / 2004 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, कृषि उत्तरांचल शासन।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. न्याय / विधायी विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।